

दिनांक 20.11.2024 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जल जीवन
मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक की
कार्यवृत्त-

दिनांक 20.11.2024 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जल जीवन मिशन फेज-2,
फेज-3 व फेज-5 से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें
निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. श्री संजय कुमार जायसवाल, अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सिद्धार्थनगर।
3. श्री उमेश चौधरी, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सिद्धार्थनगर।
4. श्री राम बचन, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेघा इंजी0 एण्ड इंफ्रा0लि0, सिद्धार्थनगर।
5. श्री सुरेश चौधरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, (जे0वी0), सिद्धार्थनगर।
6. श्री गणेश प्रसाद, जैवशन विश्वराज (जे0वी0), सिद्धार्थनगर।
7. श्री चंद्रशेखर, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, सिद्धार्थनगर।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तैनात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजी0 एण्ड इंफ्रा0 लि0, हैदराबाद)

- जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 459 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्प्रति करते हुए 176 डी0पी0आर0 के माध्यम से संतुष्ट किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 176 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को सभी 176 परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करा दिया गया है तथा फर्म द्वारा इन सभी पर ट्यूबवेल ड्रिलिंग का कार्य भी कर लिया गया है। अपितु फर्म द्वारा कतिपय कार्यस्थलों पर दीच-दीच में कार्य बंद किए जाने पर, पुनः भूमि विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। जिसके निस्तारण हेतु तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है।
- अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 02 दिसम्बर 2022 थी तथा समयवृद्धि के उपरांत 30 जून 2024 निर्धारित है। परंतु फर्म द्वारा द्वितीय समयवृद्धि दिनांक 30.12.2024 तक के लिए आवेदन किया गया है, जो कि निर्णय हेतु अधिशासी अभियंता द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित है।
- कम्पोनेट-यार प्रगति समीक्षा में पाया गया कि पम्प हाउस एवं ओवरहेड टैंक की प्रगति अत्यंत कम है। 212 स्वीकृत पम्प हाउस के सापेक्ष 155 पूर्ण हैं। इसी प्रकार 185 स्वीकृत ओवरहेड टैंक के सापेक्ष अभी तक 36 का कार्य पूर्ण है, परंतु मात्र 18 टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रतिदिन औसत 450 मैनपावर लगाया गया है। जबकि 185 परियोजनाओं के ओवरहेड टैंक पर समानांतर कार्य करने हेतु न्यूनतम 1050 मैनपावर लगाया जाना आवश्यक है।



- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रतिदिन औसत 450 मैनपावर लगाया गया है। जबकि 185 परियोजनाओं के ओवरहेड टैक पर समानांतर कार्य करने हेतु न्यूनतम 1050 मैनपावर लगाया जाना आवश्यक है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को विगत डेढ़ वर्ष पूर्व से ही प्री-कास्ट ओवर हेड टैक निर्माण हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। परंतु अभी तक 3 परियोजना (इमिलिया पेयजल योजना, विंखो-बढ़नी, भडेहर ग्रांट, विंखो-नौगढ़ एवं महुलानी, विंखो खेसरहा) पर प्री-कास्ट ओवर हेड टैक निर्माण कार्य किया गया है, इस पर परियोजना प्रबंधक, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा 137 परियोजनाओं पर जलापूर्ति प्रारंभ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JJM Grievance Portal पर प्राप्त हो रही हैं।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जनपद के अधिशासी अभियंता एवं समस्त कार्यादायी एजेंसी की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें धीमी प्रगति की वजह से मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० पर कुल 7 प्रतिशत Liquidated damages की पेनाल्टी लगाई गई है। परंतु इसके उपरांत भी कार्य गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 459 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 434 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका ठी०पी०आई० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance Portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। फर्म को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ सुनिश्चित करें तथा इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अलग-अलग मोबाईल टीम बनाएं।
- कार्यादायी फर्म मेघा के PM द्वारा पूर्व बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अस्वस्तः किया गया था कि अगले 30 दिवस के अन्दर 4 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 15 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी परन्तु फर्म मेघा द्वारा मात्र 2 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया एवं 4 योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है। जिस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अगली बैठक होने से पूर्व फर्म को निर्देशित किया गया है कि आप 7 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर एवं 10 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

परियोजनाओं की कम्पोनेंट-वार प्रगति निम्नानुसार है—

Sr. No	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work in progress	Un started	Completed	Work in progress	Un started
1	TUBEWELL	Nos.	212	210	2	0	99.05	0.95	0.00
2	PUMP HOUSE	Nos.	212	155	55	2	73.11	25.94	0.01
3	PIPELINE	KM	1628	1612	0	16	99.02	0	0.01
4	OVERHEAD TANK	Nos.	185	36	148	1	19.35	80.00	0.55
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	78131	77957	-	174	99.78	-	0.22
A				137			77.84%		
B				18			10.23%		
5	Road Reinstatement	KM	Total Dismantling qty- 449	Total Reinstatement Done- 419 Km			Progress- 93.32 %		

- फर्म द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है हर महीने में मात्र 2 से 3 ही शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो पा रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि फर्म द्वारा तय समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया गया कि उचित मैन पावर लगाते हुए योजनाओं के समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- कार्यदायी फर्म— मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा०, हैदराबाद की अत्यंत धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मैनपावर नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के पी०एम० को निर्देशित किया गया कि उचित मैनपावर बढ़ाते हुए समयानान्तर्गत पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करायें।

2. कार्यदायी फर्म (वी.एस.ए-एस.सी.एल, हैदराबाद)

- जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वी.एस.ए-एस.सी.एल, हैदराबाद को फेज-3 के अन्तर्गत कुल 525 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्प्लिट करते हुए 163 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना था। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 160 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।

अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को सभी 160 परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करा दिया गया है तथा फर्म द्वारा इन सभी पर टचूबवेल ड्रिलिंग का कार्य भी कर लिया गया है। अपितु फर्म द्वारा कतिपय कार्यस्थलों पर बीच-बीच में कार्य बंद किए जाने पर, पुनः भूमि विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शेष परियोजनाओं पर भूमि विवाद अथवा अनुपलब्धता के कारण कार्य अनारंभ है। भूमि विवाद निस्तारण हेतु नियमित तौर पर संबंधित तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है।

- कम्पोनेट-वार प्रगति समीक्षा में पाया गया कि पम्प हाउस एवं ओवरहेड टैंक की प्रगति अत्यंत कम है। 184 स्वीकृत पम्प हाउस के सापेक्ष 156 पूर्ण हैं। इसी प्रकार 163 स्वीकृत ओवरहेड टैंक के सापेक्ष अभी तक 27 का कार्य पूर्ण है, परंतु मात्र 7 टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रतिदिन औसत 380 मैनपावर लगाया गया है। जबकि 163 परियोजनाओं के ओवरहेड टैंक पर समानांतर कार्य करने हेतु न्यूनतम 950 मैनपावर लगाया जाना आवश्यक है।
- फर्म द्वारा 66 परियोजनाओं पर जलापूर्ति प्रारंभ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JJM Grievance Portal पर प्राप्त हो रही हैं।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जनपद के अधिशासी अभियंता एवं समस्त कार्यादायी एजेंसी की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें धीमी प्रगति की वजह से वी.एस.ए-एस.सी.एल. हैदराबाद पर कुल 3 प्रतिशत Liquidated damages की पेनाल्टी लगाई गई है। परंतु इसके उपरांत भी कार्य गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 525 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 395 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance Portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। फर्म को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अलग-अलग मोवाईल टीम बनाएं।
- कार्यादायी फर्म वी.एस.ए-एस.सी.एल के PM द्वारा पूर्व बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अस्वस्ति किया गया था कि अगले 30 दिवस के अन्दर 4 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 8 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी परन्तु फर्म वी.एस.ए-एस.सी.एल द्वारा मात्र 3 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया एवं 6 योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है। जिस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अगली बैठक होने से पूर्व फर्म को निर्देशित किया गया है कि आप 12 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर एवं 15 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

परियोजनाओं की कम्पोनेंट-वार प्रगति निम्नानुसार है—

Sr.no	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work in progress	Un started	Completed	Work in progress	Un started
1	TUBEWELL	Nos.	184	181	0	3	98.37	0	1.63
2	PUMP HOUSE	Nos.	184	156	24	4	84.78	13.04	2.17
3	PIPELINE	KM	1620	1581	0	39	97.59	0	2.41
4	OVERHEAD TANK	Nos.	163	27	128	8	16.56	78.53	4.91
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	71541	68961	-	2580	96.39	-	3.61
<hr/>									
A	Direct water supply	Schemes	163	66			40.50%		
B	100 % commissioning	Schemes	163	7			4.29%		
<hr/>									
5	Road Reinstatement	KM	Total Dismantling qty- 602	Total Reinstatement Done- 563 Km		Progress- 93.52 %			

- कार्यदायी फर्म— वी.एस.ए—एस.सी.एल, हैदराबाद की अत्यंत धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मैनपावर नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि उचित मैनपावर बढ़ाते हुए समयानान्तर्गत पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण करायें।
- फर्म द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है हर महीने में मात्र 3 से 4 ही शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो पा रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि फर्म द्वारा तथ्य समय—सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया गया कि उचित मैन पावर लगाते हुए योजनाओं के समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3. कार्यदायी फर्म (जैक्सन—विश्वराज जॉवी०, नई दिल्ली)

- जल जीवन मिशन फेज-5 के अन्तर्गत चयनित फर्म जैक्सन—विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर), नई दिल्ली को कुल 1083 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसके सापेक्ष 1083 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 423 DPR के माध्यम से संतुष्ट किया जाना है।
- 423 परियोजनाओं में कुल 445 ट्यूबवेल का कार्य स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष 414 ट्यूबवेल का कार्य कर लिया गया है। अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शेष परियोजनाओं पर भूमि विवाद अथवा अनुपलब्धता के कारण कार्य अनारंभ है। भूमि विवाद निस्तारण हेतु नियमित तौर पर संबंधित तहसील में संपर्क कर प्रयास किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि भूमि प्रकरणों के निस्तारण के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगली बैठक में भूमि संबंधी विवाद निस्तारण का आश्वासन दिया गया।

परियोजनाओं की कम्पोनेन्ट-वार प्रगति निम्नानुसार है—

Sr.no	Component	UOM	Target	Progress			Progress %		
				Completed Total	Work in progress	Un started	Completed	Work in progress	Un started
1	TUBEWELL	Nos.	445	414	0	31	93.03	0	6.97
2	PUMP HOUSE	Nos.	445	280	130	35	62.92	29.21	7.87
3	PIPELINE	KM	4465	4140	0	325	92.72	0	7.29
4	OVERHEAD TANK	Nos.	424	14	405	5	3.30	95.52	1.18
5	HOUSE CONNECTION	Nos.	158346	118090	-	40256	74.58	-	25.42
<hr/>									
A	Direct water supply	Schemes	424	90			21.23%		
B	100 % commissioning	Schemes	424	2			0.05%		
<hr/>									
5	Road Reinstatement	KM	Total Dismantling qty-	Total Reinstatement Done-	Progress- 84.96 %				
				2534	2153 Km				

- अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। फर्म के परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि समस्त परियोजनाएं दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि अभी तक इनके द्वारा अनुबंध के समयवृद्धि हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा दिसम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण करने हेतु फर्म को सभी कम्पोनेन्ट पर समानांतर कार्य करने तथा संसाधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि फर्म को आवंटित कुल 1083 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 548 राजस्व ग्रामों में सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कार्य पूर्ण है, जिसका टी०पी०आर्ड० द्वारा सत्यापन कराकर पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। शेष ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से IGRS / JJM Grievance Portal पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जनपद के अधिशासी अभियंता एवं समस्त कार्यादायी एजेंसी की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें धीमी प्रगति की वजह से जैक्शन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर) पर कुल 6 प्रतिशत Liquidated damages की पेनालटी लगाई गई है। परंतु इसके उपरांत भी कार्य गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।
- कार्यादायी फर्म जैक्शन- विश्वराज के PM द्वारा पूर्व बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अस्वस्ति किया गया था कि अगले 30 दिवस के अन्दर 3 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 7 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी परन्तु फर्म जैक्शन- विश्वराज (ज्वाइंट वेन्चर) द्वारा मात्र 2 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया एवं 7 योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है। एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया गया कि अगली बैठक होने से पूर्व फर्म को 8 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर एवं 10 परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
- फर्म द्वारा 81 परियोजनाओं पर डायरेक्ट ट्यूबवेल से जलापूर्ति प्रारंभ की गई। परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थलीय निरीक्षण में अधिकतम परियोजनाओं पर नियमित जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत मिल रही है तथा ट्राइल/टेस्टिंग में होने वाले लीकेज के मरम्मत में विलंब किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें IGRS / JJM Grievance Portal पर प्राप्त हो रही हैं।

- कार्यदायी फर्म जैवशन-विश्वराज के पी०एम० द्वारा बताया गया कि 31 परियोजनाओं पर भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया, की बात कही गई। जिसपर अधोहस्ताक्षरी महोदय द्वारा अगली बैठक में निराकरण कराने के लिए आश्वासन दिया गया। 20 नग पम्प हाउस पर LOW LAND के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जिसकी रि-डिजाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस में ही शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
- फर्म द्वारा प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा हैं हर महीने में मात्र 2 से 3 ही शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो पा रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि फर्म द्वारा तय समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया गया कि उचित भैन पावर लगाते हुए योजनाओं के समर्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
 - अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समर्त कार्य निर्धारित समयान्तर्गत मानक के अनुरूप पूर्ण कर लिया जाय एवं काटी गयी सड़कों का ससमय पुर्नस्थापन कर दिया जाय और अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है कि अपने से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को निर्देशित कर मानक के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की सिथिलता क्षम्य नहीं है। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि 03 महीने की प्रगति में फर्म द्वारा कोई प्रगति नहीं है जिस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सिद्धार्थनगर के माध्यम से फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी करने हेतु आदेशित किया गया था, जिस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है किन्तु सम्बन्धित फर्म द्वारा अभी तक नोटिस का जवाब को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को आदेशित किया गया है कि शीघ्र ही नोटिस का उचित जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में 1 प्रतिशत एल०डी० हेतु अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी०पी०आई० को आदेशित किया गया है कि अगली बैठक में एन०सी० एकत्रित कर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की सिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

(डा० राजागणपति आर०)
जिलाधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— १५५५ / शप०१५ / ५१
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. मंडलायुक्त, वर्ती मण्डल को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर।
5. अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सिद्धार्थनगर।
6. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इफ्रा० लि०।
7. पी०एम०, वी०एस०ए० एस०सी०एल० (जे०वी०)।
8. पी०एम०, जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०)।
9. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्प्रेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, सिद्धार्थनगर।

जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर।